॥अ॥

[23/3/2022]

263

प्रश्न सं. [क. 4047]

—:: आदेश ::—

आरक्षक कमांक 257 पंकज पाण्डे 25वी वाहिनी विसबल भोपाल को आर.ए.पी.टी.सी. इंदौर मे संचालित नवआरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र कमांक –23 के दि. 21.9.2004 को आयोजित दीक्षांत परेड के समारोह म 'आल राउण्ड बेस्ट घोषित' होने पर विसबल अधिनियम 1973 पैरा (58) के तहत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विसबल पु.मु. भोपाल के अनुमोदन पश्चात पुलिस मुख्यालय विसबल कार्यालय के पत्र कमांक पुमु/विसबल/7(9)/ओ.टी.पी.नवचार/356/04 दिनांक 26.10.2004 के द्वारा प्रधान आरक्षक (जी.डी.) पद पर कम से पूर्व पदोन्नति प्रदान करने की दी गई अनुमति पश्चात नवआरक्षक कमांक 257 पंकज पाण्डे 25वी वाहिनी विसबल, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आरक्षक से प्रधान आरक्षक (जी.डी.) के पद पर कम से पूर्व पदोन्नति प्रदान की जाती है।

हस्ता/–
(अशोक अवस्थी)
उप पुलिस महानिरीक्षक,
विसबल,मध्यक्षेत्र,भोपाल

// कार्यालय उप पुलिस महानिरीक्षक,विसबल,मध्य क्षेत्र,भोपाल //

कमांक–उमनि/विसबल/मध्य/2/7240-A/04. दिनांक 2/12/04

प्रतिलिपि –

1/ पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (मुख्यालय) पु.मु.भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।

2/ पुलिस महानिरीक्षक, आर.ए.पी.टी.सी. इंदौर की ओर कृपया सूचनार्थ ।

3/ सेनानी 25 वाहिनी विसबल भोपाल की ओर उनके पत्र क.25वी बटा/विसबल/स्था/पी–2329–डी/04 दि. 17.11.04 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

6

उप पुलिस महानिरीक्षक,
विसबल,मध्यक्षेत्र,भोपाल

DSPAH-(HQ)
DSPSAH-
4.12

7(9)

उप पुलिस अधीक्षक,
वि. स. बल (मु.)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग
(बी–4)
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with CamScanner

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

THE MADHYA PRADESH VISHESH SASHASTRA BAL ADHINIYAM, 1968

मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, १९६८

THE MADHYA PRADESH VISHESH SASHASTRA BAL NIYAM, 1973

मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल नियम, १९७३

(Act came into force from 1st December, 1974 *Vide* Notification No. 6377-77355-II-B-(i), dated 25th November, 1974, Published in M. P. Gazette, Part I Page 1876, dated 29-11-1974)

INDORE
Govt. Regional Press
1975

उप पुलिस अधीक्षक
वि. स. बल (मु.)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग
(बी–4)
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(५) उपयुक्तता सूचियों को प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित किया जायगा और उन व्यक्तियों के नाम, जिनके बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट हो, सूची में से निलंबित किये जा सकेंगे ।

५७. पदोन्नतियों की शक्तियों का प्रयोग, पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा किया जायगा । मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन्स के रेग्युलेशन ५२ में विहित की गई पदोन्नतियों की शक्तियों का प्रयोग पुलिस उप- महा निरीक्षक के द्वारा किया जा सकेगा ।

५८. **नव सैनिक कांस्टेबिल की पदोन्नति**— पुलिस उप-महा निरीक्षक किसी ऐसे नव-सैनिक कांस्टेबिल को जो किसी प्रशिक्षण बटालियन में अपने प्रशिक्षण की समाप्ति पर ली गई परीक्षा में प्रथम आता है, नायक या हेड कांस्टेबिल के ओहदे पर पदोन्नत कर सकेगा यदि वह उसे ऐसी पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे ।

अध्याय तेरह–निरीक्षण

५९. **निरीक्षण**.— (१) पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अपर महानिरीक्षक, पुलिस उप महा निरीक्षक, उसके अधीन प्रत्येक बटालियन का निरीक्षण प्रति वर्ष कम से कम एक बार करेगा, तथा सामान्यतः उसके (बटालियन के) कार्य, कार्य क्षमता, प्रशिक्षण, मनोबल, अनुशासन, वस्त्रों, साज-सज्जा, शस्त्र तथा गोला बारूद कल्याणकारी क्रियाकलाप, लेखाओं की दशा तथा ऐसे किसी अन्य विषय के बारे में टिप्पणी देगा, जो कि वह आवश्यक समझे ।

(२) परिक्षेत्रीय अधिकारी, आदेशक तथा सहायक आदेशक अपने कार्यालयों तथा प्रत्येक कम्पनी या प्लाटून का निरीक्षण प्रति वर्ष कम से कम एक बार करेंगे और यह पता लगायेंगे कि विभिन्न अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार से किया गया तथा जहां आवश्यक हो वहां सुधार करने हेतु कार्यवाही करेंगे ।

(३) जब प्लाटून की या उससे अधिक संख्या की किसी सब-यूनिट को मुख्यालय से बाहर पदस्थ किया जाय तब संबंधित सहायक आदेशक तीन माह में कम से कम एक बार तथा कम्पनी कमाण्डर प्रत्येक माह में कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा । कम्पनी मुख्यालय पर स्थित किसी प्लाटून का निरीक्षण कम्पनी कमाण्डर द्वारा तीन माह में कम से कम एक बार किया जायगा ।

(४) जब प्लाटून संख्या से कम संख्या की कोई सब-यूनिट कम्पनी मुख्यालय से बाहर पदस्थ की गई हो तब उसका निरीक्षण कम्पनी कमाण्डर द्वारा एक माह में कम से कम एक बार तथा प्लाटून कमाण्डर द्वारा सप्ताह में एक बार किया जायगा ।

६०. **निरीक्षणों के संबंध में अनुदेश**.— इन निरीक्षणों के दौरान, निरीक्षणकर्ता अधिकारी यह पता लगायेंगे कि क्या बल के समस्त सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन समाधान पूर्ण रीति से कर रहे हैं क्या कैम्प तथा सब-यूनिट के प्रकार में की सम्पत्ति की सुरक्षा के प्रबन्ध समाधान पूर्ण हैं, क्या मनोबल, अनुशासन तथा प्रशासन की दशा समाधान पूर्ण है और क्या यूनिट के कमाण्डर को अपने सैनिकों का विश्वास प्राप्त है और उसने उनके कल्याण की ओर ध्यान दिया है ? वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्या जिला पुलिस के साथ समुचित सहयोग तथा समन्वय है और पुलिस तथा जन-साधारण के संबंध अच्छे हैं । उन्हें पुलिस बल के उनके समरूप अधिकारियों के साथ मिलना चाहिये । तथा विशेष सशस्त्र बल के सामने की पारस्परिक समस्याओं तथा कठिनाईयों के बारे में चर्चा करनी चाहिये । उन्हें जब कभी आवश्यक हो, किन्हीं विषयों में शोधन तथा सुधार करने के हेतु तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये तथा अपने प्रकृष्ट अधिकारियों के ध्यान में तथ्यों को लाना चाहिये ।

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग
(बी–4)
मंत्रालय, भोपाल

उप पुलिस अधीक्षक
बि. स. बल (पु.)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

Scanned with CamScanner